भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2747

09.03.2026 को उत्तर के लिए

छत्तीसगढ़ में फ्लाई ऐश का उपोयग

2747. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में उन विद्युत संयंत्रों, जो दिसंबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, से वसूले गए 'पर्यावरणीय मुआवजे' का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोरबा जिले के ऐश पॉण्ड में गत तीन वर्षों के दौरान संचित 'लीगेसी ऐश' की मात्रा कितनी है और इसके वैज्ञानिक निपटाने के लिए क्या समय-सीमा है;

(ग) क्या सरकार ने वन क्षेत्रों और जनजातीय बस्तियों में अवैध डंपिंग को रोकने के लिए 'ऐशट्रेक' ऐप पर विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदान किए गए डेटा का कोई भौतिक सत्यापन किया है; और

(घ) क्या सरकार के पास उक्त संयंत्रों से वसूले गए जुर्माने को केंद्र सरकार के बजाय सीधे कोरबा के स्थानीय पर्यावरण और स्वास्थ्य कोष में आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि क्षेत्र में कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.12.2021 को अधिसूचित राख उपयोग अधिसूचना, 2021 के तहत कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को निर्धारित पर्यावरण-अनुकूल प्रयोजनों के लिए और निर्धारित समयसीमा के अनुसार फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश सहित राख का 100% उपयोग करने हेतु अधिदेशित किया गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) पर कोई पर्यावरणीय मुआवजा अधिरोपित नहीं किया गया है क्योंकि प्रथम 3 वर्षीय अनुपालन चक्र (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक) के दौरान राख उपयोग संबंधी लक्ष्यों के संबंध में कोई गैर-अनुपालन नहीं पाया गया है।

(ख) : उक्त अधिसूचना के तहत, टीपीपी को अप्रयुक्त संचित राख अर्थात लेगेसी एश, ऐसी राख जो दिनांक 01.04.2022 से पहले संग्रहीत है, का उपयोग इस प्रकार से क्रमिक रूप से करने के लिए अधिदेशित किया गया है कि लेगेसी एश का उपयोग दिनांक 01.04.2022 से दस वर्षों के भीतर पूर्णतः कर लिया जाए।

सीईसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल) के हसदेव ताप विद्युत संयंत्र (एचटीपीएस) में स्थित राख के टीले को छोड़कर, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बेकार पड़े राख के टीलों को संबंधित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया है। उक्त राख के टीले में संचित 'लेगेसी एश' की कुल मात्रा 210.64 लाख मीट्रिक टन (एमटी) है।

(ग) : 'एशट्रैक' एक मोबाइल एप्लिकेशन है जिसका शुभारंभ विद्युत मंत्रालय द्वारा तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश के प्रबंधन और ट्रैकिंग के लिए किया गया है।

राख उपयोग अधिसूचना, 2021 के तहत, टीपीपी को सीसीपीबी द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर राख उत्पादन और उपयोग से संबंधित मासिक जानकारी अपलोड करने के लिए अधिदेशित किया गया है। टीपीपी को सीपीसीबी, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और संबंधित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी अधिदेशित किया गया है।

इसके अलावा, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सीपीसीबी द्वारा अधिकृत लेखापरीक्षकों के माध्यम से राख के निपटान के लिए वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को प्रस्तुत की जानी होती है।

(घ) : राख उपयोग अधिसूचना, 2021 के तहत, टीपीपी और अन्य चूककर्ताओं से एकत्रित किए गए पर्यावरणीय मुआवजे की राशि का उपयोग अप्रयुक्त राख के सुरक्षित निपटान के लिए किया जाना है और इस निधि का उपयोग राख आधारित उत्पाद सहित राख के उपयोग पर अनुसंधान को उन्नत बनाने के लिए भी किया जा सकता है। चूंकि छत्तीसगढ़ में स्थित टीपीपी पर कोई पर्यावरणीय मुआवजा अधिरोपित नहीं किया गया है, इसलिए पर्यावरणीय मुआवजे के आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

*****